फर्द अहकाम

भगवानदास बनाम सरकार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 45/2022 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र ली. आई. हेतु उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा अवसर चाहा गया है। अतः पत्रावली बाबत बहस प्रार्थना ली. आई. दिनांक 01/05/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	01/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र ली. आई. हेतु अवसर चाहा गया है। जवाबदेही के दृष्टिगत अवसर दिया जाता है। पत्रावली बाबत बहस प्रार्थना ली. आई. दिनांक 13/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	13/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र ली. आई. पर सुनी गई। वादी की ओर से [illegible] के प्रावधानों [illegible] बाबत [illegible] है। जो मुद्दा विचारणीय है जिसके बाबत [illegible] निर्णय है। परन्तु चूंकि वादी की ओर से राज्य सरकार व सरकारी संस्थान (डीडीए) के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। ~~जिससे~~	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

फर्द अहकाम

भगवानदास बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 45/2022 (ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/5/25	जिससे अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन की प्रार्थीगण वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थी वादी के अपेक्षित अनुतोष मुकदमे में निर्णीत परिणाम अनुसार ताकाधीन विषय है जिसे अन्तर्वर्ती ही मुकदमे का निर्णय अपेक्षित है। परन्तु चूंकि प्रार्थनापत्र ली. आई. के सन्दर्भ में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ली. आई. खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर अर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.06.03 13:15:46 IST
Reason: SelfAttested